न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (द्वितीय) अलवर (राज0)

अपील संख्या	रजि0 न0	प्रवेश तिथि	निर्णय दिनांक
12/51/2025	2025/200	15.10.2025	28.01.2026

1.सरकार जरिये उर्वरक निरीक्षक एवं कृषि अधिकारी (मिशन), कार्यालय संयुक्त निदेशक कृषि (विस्तार), जिला परिषद अलवर, जिला अलवर राज0।

—प्रार्थी

बनाम

1.श्री बलधारी गुर्जर पुत्र श्री बोधन गुर्जर, निवासी तिलकपुर, तहसील लक्ष्मणगढ, जिला अलवर (राजस्थान)।

—अप्रार्थी

प्रा0पत्र अन्तर्गत धारा 6—ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 सहपठित उर्वरक नियंत्रण आदेश 1985।

अनुपस्थितः—

01. श्री प्रवर्तन अधिकारी —विभागीय प्रतिनिधि

—:निर्णयः—

प्रा0 पत्र अन्तर्गत धारा 6—ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 सहपठित उर्वरक नियंत्रण आदेश 1985 पेश किया जिसके संक्षिप्त तथ्य निम्न प्रकार हैं कि में जितेन्द्र सिंह फौजदार, कृषि अधिकारी (मिशन) एवं उर्वरक निरीक्षक संयुक्त निदेशक कृषि (वि०) जिला परिषद, अलवर के पद पर पदस्थापित हूँ। मुझे राज्य सरकार की अधिसूचना दिनांक मार्च 27, 2023 के द्वारा मुझे मेरे पद की हैसियत से उर्वरक निरीक्षक की शक्तियां प्रदत्त की गई है तथा अधिकारता क्षेत्र अलपर जिला शामिल है। दिनांक 01.10.2025 को कृषक श्री सुखराम पुत्र श्री किशन निवासी बिचगावा की शिकायत के आधार पर बालधारी गुर्जर पुत्र श्री बोधन गुर्जर की दुकान का निरीक्षण किया गया। कृषक सुखराम द्वारा बताया गया कि बलधारी गुर्जर की दुकान से इफको माको डीएपी आन लाईन ट्रान्जेक्शन आई की 1251001091019977844663 द्वारा 1600/— रुप्ये सद्दाम हुसैन पुत्र श्री सम्मी से खरीदा है। जिसका किसी प्रकार का कोई बिल नही दिया गया ना ही उसके पास उर्वरक बेचान का कोई लाईसेन्स था। कृषक के द्वारा खरीदे गये डीएपी बैग से नमूना आहरण किया गया है जिसका कोड नम्बर AO(M)/F/2025-26/011 है। मेरे द्वारा बलधारी गुर्जर निधासी तिलकपुर की दुकान से 5 बैग यूरिया सिंगल सुपर फास्फेट काम्पलेक्स फर्टिलाईजर्स एनपीके (5:15:0:10) को नियमानुसार जब्त कर श्री जितेन्द्र शर्मा पुत्र श्री जसवंत लाल शर्मा निवासी जावली तह० लक्ष्मणगढ़ व्यवस्थापक मैसर्स ग्राम सेवा सहकारी समिति बिचगांचा को सर्पूर्व किया गया है। उक्त यूरिया सिंगल सुपर फास्फेट काम्पलेक्स फर्टिलाईजर्स एनपीके (515:0:10) उर्वरक का नमूना आहरण किया गया है। जिसका कोड नम्बर AO(M)/F/2025-26/012 है। उक्त आहरित दीनो नमूने को कार्यालय के पत्रांक 5500 दिनांक 03.10.2025 द्वारा राज्य उर्वरक गुण नियंत्रण परीक्षण प्रयोगशाला प्रयोगशाला दुर्गापुरा जयपुर को विश्लेषण हेतु भिजवाया गया है। जिनकी विश्लेषण रिपोर्ट प्रयोगशाला से प्राप्त होना अपेक्षित है। उर्वरक (नियंत्रण) आदेश 1985 के खण्ड 28(1) (क) के तहत सीजर नोटिस देकर उपलब्ध स्टॉक को जब्त किया गया। उर्वरक नियंत्रण आदेश 1985 के क्लोज 19 के तहत यूरिया सिंगल सुपर फास्फेट काम्पलेक्स फर्टिलाईजर्स एनपीके (5:15:0:10) को जब्त किया गया। शपच पत्र, फर्द जब्ती. नोटिस, मौका नक्शा आदि तैयार किये गये।

श्री बलधारी गुर्जर पुत्र श्री बोधन गुर्जर निवासी तिलकपुर बिचगावां, तह० लक्ष्मणगढ़ जिला अलवर के विरूद्ध पुलिस थाना लक्ष्मणगढ़ में एफआईआर दर्ज कराई गई है। (एफ आई आर रिपोर्ट संलग्न है।) उक्त प्रकरण में आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की चारा (ए) के तहत जब्त उर्वरक को नमून की विश्लेषण रिपोर्ट आने पर या उर्वरक नियंत्रण आदेश

अतिरिक्त जिला कलक्टर (द्वितीय)
अलवर (राज0)

1985 के तहत राजसात करने एवं निस्तारण की कार्यवाही हेतु प्रार्थना पत्र पेश है। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को जरिये रिजस्टर्ड नोटिस तलब किया गया। बाबजूद रजिस्टर्ड नोटिस अप्रार्थी अनुपस्थित।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 6–ए के तहत जब्त किए गए डीएपी उर्वरक को राजसात करने और उसके निस्तारण के संबंध में है, जिसे उर्वरक नियंत्रण आदेश, 1985 के साथ सहपठित किया गया है। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों, फर्द जब्ती, मौका नक्शा और निरीक्षण रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। यह स्पष्ट है कि विपक्षी बिना वैध प्राधिकार पत्र के उर्वरक का भंडारण और बेचान कर रहा था, जो कि उर्वरक (नियंत्रण) आदेश, 1985 के खंड 7 का स्पष्ट उल्लंघन है। उर्वरक का बेचान निर्धारित दर से अधिक और बिना बिल के किया जाना भी उल्लंघन की श्रेणी में आता है। चूंकि विपक्षी ने उपस्थित होकर इन आरोपों का खंडन नहीं किया है, अतः अभियोजन पक्ष के तथ्य प्रमाणित माने जाते हैं। भले ही प्रयोगशाला से विश्लेषण रिपोर्ट प्राप्त होना अपेक्षित है, परन्तु बिना लाइसेंस के उर्वरक का भंडारण और व्यापार करना अपने आप में आवश्यक वस्तु अधिनियम का उल्लंघन है, जो कि धारा 6–ए के तहत जब्ती और राजसात का आधार बनता है। अप्रार्थीगण द्वारा आज दिनांक तक माल की खरीद/विक्री का कोई वैध दस्तावेज या अनुज्ञापत्र (स्पबमदेम) पेश नहीं कर सका। प्रार्थना पत्र दर्ज होने के उपरांत, अप्रार्थीगण को नियमानुसार पंजीकृत डाक द्वारा नोटिस जारी कर तलब किया गया। रजिस्टर्ड तलबी के बावजूद अप्रार्थीगण आज दिनांक तक न्यायालय के समक्ष अनुपस्थित हैं और अपना पक्ष रखने में विफल रहे हैं। रिकॉर्ड पर उपलब्ध साक्ष्य (निरीक्षण प्रतिवेदन, मौका पर्चा, जब्ती नोटिस) से यह स्पष्ट रूप से प्रमाणित होता है कि अप्रार्थीगण बिना किसी वैध लाइसेंस/अनुज्ञापत्र के अवैध रूप से उर्वरक का कारोबार कर रहा था। जब्त उर्वरक के नकली होने का संदेह है, और इसे अवैध रूप से संग्रहित/बेचा जा रहा था, जो आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 का गंभीर उल्लंघन है। अप्रार्थी द्वारा न्यायालय के समक्ष अनुपस्थित रहने के कारण, यह स्थापित होता है कि जब्त माल को आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के प्रावधानों के विपरीत उपयोग किया जा रहा था। प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य प्रतीत होता है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 6–ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 स्वीकार किया जाता है। उक्त जब्त (5 बैग यूरिया सिंगल सुपर फास्फेट काम्पलेक्स फर्टिलाईजर्स एनपीके 5:15:0:10) को आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 6–ए के अंतर्गत राजसात किया जाता है। उर्वरक निरीक्षक एवं कृषि अधिकारी (मिशन), कार्यालय संयुक्त निदेशक कृषि (विस्तार), जिला परिषद अलवर, जिला अलवर राज0 को निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्त जब्त (5 बैग यूरिया सिंगल सुपर फास्फेट काम्पलेक्स फर्टिलाईजर्स एनपीके 5:15:0:10) को सुपुर्दगार (सुपुर्दगीदार श्री जितेन्द्र शर्मा व्यवस्थापक, जी.एस.एस. बिचगावां) से नियमानुसार प्राप्त किया जाकर विधिवत कार्यवाही कर राजसात किया जाकर निस्तारण की कार्यवाही करें एवं अन्तरिम निस्तारण से प्राप्त राशि जमा राजकोष कराया जाना सुनिश्चित करें। निर्णय की प्रति उर्वरक निरीक्षक एवं कृषि अधिकारी (मिशन), कार्यालय संयुक्त निदेशक कृषि (विस्तार), जिला परिषद अलवर, जिला अलवर राज0 को पालनार्थ भिजवाई जावें। उक्त निर्णय आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के अध्याधीन रहेगा। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 28.01.2026 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(योगेश कुमार डागुर)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
(द्वितीय) अलवर (राज0)